न्यायालय जिला न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर।

तारीख हुक्म	आदेश दीवानी वाद सं. 30/2022 भारत पेट्रोलियम बनाम नगर परिषद व अन्य	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
18.09.2025	विद्वान अधिवक्ता वादी श्री शरद यादव उपस्थित। अधिवक्तागण प्रतिवादीगण उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थी पवन कुमार की ओर से प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता लम्बित है। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री भोलाशंकर शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति दिलायी गई। जवाब के साथ फार्म नम्बर 3 के साथ एक वसीयतनामा की प्रति भी पेश की गई जो गोविन्द नारायण गुप्ता द्वारा अपनी पत्नी मुन्नी देवी के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सभी उपस्थित पक्षों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया है कि जिस पट्टा दिनांक 18.02.2014 को निरस्त करने का दावा प्रस्तुत किया गया है वह फर्म जगदीश नारायण सत्यनारायण के नाम से है जिसमें प्रार्थी पवन का भी हित निहित है। अतः प्रार्थी को भी पक्षकार बनाया जाए। अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने अपन जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी पवन इस प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार है ना ही उचित पक्षकार क्योंकि यह दावा पट्टा दिनांक 18.02.2014 के निरस्तीकरण से सम्बन्धित है और यह पट्टा फर्म जगदीश नारायण सत्यनारायण के अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिवादी संख्या 2 हेमन्त गर्ग के पक्ष में जारी किया गया है। उनका तर्क है कि इस दावे में प्रार्थी पवन अथवा प्रतिवादी संख्या 2 हेमन्त गर्ग के पारिवारिक विवाद तय नहीं होने हैं इसलिए प्रार्थी पवन को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जान का निवेदन किया। उभय पक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह दावा वादी कम्पनी द्वारा मूलतः पट्टा दिनांकित 18.02.2014 को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया गया	

जिला न्यायाधीश

है जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा फर्म जगदीश नारायण सत्यनारायण के अधिकृत प्रतिनिधि हेमन्त गर्ग (प्रतिवादी संख्या 2) के पक्ष में निष्पादित किया गया है। पत्रावली पर न तो ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये कि फर्म जगदीश नारायण सत्यनारायण में प्रार्थी पवन का भी कोई हित निहित था ना ही हस्तगत दावे में प्रार्थी पवन अथवा प्रतिवादी संख्या 2 हेमन्त की पारिवारिक सम्पत्ति में परिवार के सदस्यों के हितों के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया जाना है। अतः इन परिस्थितियों में हस्तगत दावे की प्रकृति को देखते हुए मेरी विनम्र राय में प्रार्थी पवन न तो इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है ना ही उचित पक्षकार है।

अतः प्रार्थी पवन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 08.05.2024 खारिज किया जाता है।

आगामी पेशी पर प्रतिवादी संख्या 2 आवश्यक रूप से अपना जवाब दावा प्रस्तुत करे इस हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को यह अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।

(देवेन्द्र दीक्षित)
जिला न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर।
जिला न्यायाधीश
सवाई माधोपुर (राज.)